

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

10/1/22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी। प्रार्थी उपस्थित
है वकील प्रार्थी ने प्रार्थिगण द्वारा प्रार्थना
पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु
निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया
प्रार्थिगण द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं
चाहने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने
से खारिज की जाती है। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो। ५

मजिस्ट्रेट अधिकारी
नैबवां (बून्वी)

